

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग, जयपुर

क्रमांक— प.10(180)नविवि / 3 / 09

जयपुर, दिनांक— 13.01.2010

आधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को निवाई (जिला टोंक) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम समिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है—

क्रम संख्या	ग्रामों का नाम	तहसील
1.	चैनपुरा (Chainpura)	निवाई (जिला टोंक)
2.	रूपबास (Roopbas)	— " —
3.	महाराजपुरा (Maharajpura)	— " —
4.	पलेई (Palei)	— " —
5.	जुझारपुरा (Jhujharpur)	— " —
6.	बरथल (Barthal)	— " —
7.	निवाई (Niwai)	— " —
8.	रामसिंहपुरा (Ramsinghpura)	— " —
9.	चोरपुरा (Chorpura)	— " —
10.	जुगलपुरा कलां (Jugalpura Kalan)	— " —
11.	जयसिंहपुरा (Jaisinghpura)	— " —
12.	केरोद (Kerod)	— " —
13.	भगवानपुरा (Bhagwanpura)	— " —
14.	गोपीनाथपुरा (Gopinathpura)	— " —
15.	हमीदपुरा (Hmeedpura)	— " —
16.	बिशनपुरा (Bishanpura)	— " —
17.	बाढ़ बिशनपुरा (Bad Bishanpura)	— " —
18.	पहाड़ी (Pahari)	— " —

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, टोंक।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, निवाई।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

